न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2021/6

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. बुधाराम पुत्र मेहराम 2. मैना पत्नी मेहराम 3. मनोहरलाल पुत्र मेहराम जातियान जाट निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. लक्ष्मी देवी पत्नी रामनारायण जाति नाई निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 2. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01।
4. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 12/1/22

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम आसोप चक प्रथम की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 892 रकबा 3.2294 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की कब्जा काश्त की भूमि आयी हुई है, सबूत में जमाबंदी संलग्न पेश है।. अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 893 रकबा 3.8769 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि आयी हुई हे। खसरा नं. 892 में आने जाने के लिये रास्ता खसरा नं. 893 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे से होते हुवे खसरा नं. 892 जाता है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की खातेदारी एवं कब्जे काश्त भूमि में आने जाने हेतु सबूत में प्रस्तावित नजरीये नक्शा अ,ब,स,द पेश है। प्रार्थीगण के आने जाने हेतु एक मात्र वैकल्पिक व नजदीकी व अत्यन्त आवश्यक रास्ता संलग्न नजरीये नक्शे में दर्शित के अलावा और कोई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु नजदीकी रास्ता नही है। इसलिये यह रास्ता प्रार्थीगण के लिये अति आवश्यक है। खसरा नं. 892 में आंने जाने हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 893 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे के पास था व है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जावे एवं नक्शा किश्तवार में तरमीम किया जावे तथा रास्ते में आने वाली भूमि की कीमत प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित बाजार दर से एवं न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को अदा करने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने का एक मात्र नजदीकी रास्ता संलग्न नजरीये नक्शा में अ,ब,स,द है जिसको अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आने जाने से मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का [illegible] प्रथम के खसरा नं. 892 में आने जाने हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 893 के उत्त[illegible] के [illegible] सहारे रास्ता सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में र[illegible] तरमीम किया जाने [illegible]देश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया ग[illegible] अप्रार्थीगण [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता ने [illegible]तनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

खातेदारी भूमि खसरा नं. 892 पर जाने हेतु नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु A B निकटतम व लघुतम रास्ता है। रास्ते का कुल रकबा 70 गठ्ठा x 2 गठ्ठा = 140 वर्गगठ्ठा यानि 07 बिस्वा बनता है। ग्राम आसोप की डीएलसी रेट 43,983 रूपये रास्ते के पास बनती है, इस प्रकार मांग किये गये रास्ते की कीमतन राशि डीएलसी रेट का दुगुना 30,788 रूपये बनती है।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 892 में आने जाने हेतु रास्ता खुला है तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ते से आज भी आते जाते है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 892 में आने जाने हेतु रास्ता खुला है जो कि प्रार्थीगण के नजरी नक्शा अ,ब,स,द है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को कभी भी आने जाने हेतु मना नही किया। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से व अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से व मौके पर रास्ता चालू हालात में होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे। वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका फर्द अनुसार राजस्व ग्राम आसोप चक प्रथम की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 892 पर जाने हेतु खसरा नं. 893 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु A B अनुसार कुल रकबा 70 गठ्ठा x 2 गठ्ठा = 140 वर्गगठ्ठा यानि 07 बिस्वा का रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार भोपालगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते की भूमि में उपयोग आने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार DLC दर की दुगुनी राशि 30,788 रूपये को विधिक खातेदारों को भुगतान हेतु प्रार्थीगण से जरिये डीडी अथवा चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक कटानी रास्ता का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपिमय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

12/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 12/1/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested

12/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)